




MESSAGE

It gives me great pleasure to felicitate all our Passport Issuing Authorities in India and abroad on the occasion of the Passport Seva Divas. As in the previous years, the Ministry of External Affairs, along with the Central Passport Organization, is marking this occasion and renewing our commitment to provide passport and passport-related services to the citizens of India in a timely, reliable, accessible, transparent and efficient manner.

MEA has incorporated greater use of IT and digital systems into its functioning including delivering public services. The Passport Seva Programme (PSP), which is a Mission Mode Project and is being run in the Public-Private Partnership (PPP) mode, has successfully completed a decade of its existence. PSP has 93 Passport Seva Kendras (PSK) and 424 Post Office Passport Seva Kendras (POPSK) functioning as the extended arms of our 36 Passport Offices in the country. We are working closely with the Department of Posts for setting-up new POPSK to take passport services closer to the people in remote places in the country. The Ministry has successfully integrated the passport issuance systems in 70 of our Missions/Posts abroad into the PSP. This has enabled us to deliver passport and passport related services to our diaspora abroad efficiently. It is a matter of immense satisfaction that more than 1.22 crore passports were issued by the Passport Issuing Authorities in India and abroad during 2019.

Digital platform such as the *mPassport Seva* Mobile App for submission of passport applications and the citizen-friendly 'Apply from Anywhere' Scheme have eased the process for submission of passport applications by the citizens. Steps have been taken to make the operation function in a "less paper" environment. With the concerted efforts of both the Ministry of External Affairs and the state police authorities, the average time for police verification has come down to 16 days. We need to continue to identify ways of further simplifying the passport rules and increasing our efforts to provide passport services in a comfortable environment with wider accessibility and reliability.

Our Government is working to build a 'New India' where the benefits of modern technology reach the farthest end of society. I call upon all Passport Issuing Authorities in India and abroad to make conscious efforts to further improve the delivery of passport and passport-related services.


(Dr. S. Jaishankar)




संदेश

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेशों में हमारे सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरणों का अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। पिछले वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के साथ विदेश मंत्रालय इस अवसर पर भारत के नागरिकों को समयबद्ध, विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट एवं पासपोर्ट-संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त करता है।

विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी सहित अपने कामकाज में आईटी और डिजिटल प्रणालियों का अधिकाधिक उपयोग शामिल किया है। पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से चलाई जाने वाली मिशन की तरह चलने वाली एक परियोजना है जिसने सफलतापूर्वक दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। पासपोर्ट सेवा परियोजना के तहत देश में हमारे 36 पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाओं के रूप में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) कार्य कर रहे हैं। देश में दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए उनके निकटवर्ती स्थान पर पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के लिए नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने हेतु हम डाक विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने विदेश स्थित हमारे 70 मिशनों/ केन्द्रों में पासपोर्ट जारी करने की प्रणालियों को सफलतापूर्वक पासपोर्ट सेवा परियोजना से जोड़ दिया है। इससे हम विदेशों में भारतीयों को कुशलतापूर्वक पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाएं देने में सक्षम हुए हैं। यह अत्यंत संतोष का विषय है कि 2019 के दौरान भारत और विदेशों में पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरणों द्वारा 1.22 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए।

पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए एम. पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप जैसे डिजिटल प्लेटफार्म और नागरिक अनुकूल 'कहीं से भी आवेदन करें' जैसी योजना ने नागरिकों द्वारा पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इस प्रचलन को अमल में लाने के लिए "कम से कम कागज के उपयोग" करने हेतु कदम उठाए गए हैं। विदेश मंत्रालय और राज्य पुलिस प्राधिकारियों, दोनों के सम्मिलित प्रयासों से पुलिस सत्यापन के लिए लगने वाला समय घटकर 16 दिन रह गया है। हमें पासपोर्ट नियमों को और सरल बनाने तथा व्यापक पहुंच और विश्वसनीयता के साथ सुविधाजनक परिवेश में पासपोर्ट सेवाएं प्रदायगी के अपने प्रयासों को बढ़ाने के तरीकों की पहचान जारी रखनी होगी।

हमारी सरकार 'नए भारत' के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है, जहां आधुनिक तकनीक का लाभ समाज के आखिरी कोने तक पहुंच सके। मैं पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को अधिक बेहतर बनाने हेतु सचेत प्रयास करने के लिए भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों का आह्वान करता हूं।


(डॉ. सु. जयशंकर)